न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
40/2025	02.12.2025	30/4/26

केशूली पत्नी रामराज, मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर ——प्रार्थिया

बनाम

1.आकाश मीना पुत्र गुलीचंद, मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर
2. विकास मीना पुत्र गुलीचंद, मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर
3. भबूती पत्नी गुलीचंद, मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर
4. कमलेश पुत्र रूपनारायण, मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर
5. बबलू पुत्र रूपनारायण, मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर
6. कल्याणी पत्नी रूपनारायण, मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर
7. अनिकेत पुत्र मुखराज उम्र 13 साल नाबालिग जरिए संरक्षक माँ रेशमबाई पत्नी मुखराज , मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर
8. अनिता बाई पुत्री मुखराज, मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर
9. रेशमबाई पत्नी मुखराज, मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर
10. रामोतार पुत्र बदरी, मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर
11. श्रीराम पुत्र बदरी, मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर
12. राजूलाल पुत्र बृजलाल, मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर
13. जलधारी पुत्र श्रीलाल, मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर
14. हरकेश पुत्र श्रीलाल, मीना निवासी छान तह0 वजीरपुर
15. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर —— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकट, प्रार्थिया की ओर से
श्री संजय कुमार शर्मा, एड. अप्रार्थी संख्या 4 ता 12 की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0न0 908 रकबा 0.17 है0, ख0न0 907 रबका 0.27 है0 ग्राम छान मे स्थित है। प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण भूमि की डोलमेड एवं सीमाओं को लेकर आपस मे विवाद होता रहता है। इसलिए प्रार्थिया द्वारा [illegible] भूमि का दिनांक 01.06.2025 को सीमाज्ञान करवा लिया [illegible] भूमि की सीमाओ को लेकर विवाद करना प्रारम्भ [illegible] की कि उस सीमाचिन्हो को नही मानते है। जिसके कारण प्रार्थिया ने यह [illegible]ना पत्र पत्थरगढी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.12 15:41:41 IST
Reason: SelfAttested

करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया की खातेदारी भूमि ख0न0 908 रकबा 0.17 है0, ख0न0 907 रबका 0.27 है0 ग्राम छान की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 ता 14 के अलावा अन्य अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है।

अप्रार्थी संख्या 4 ता 14 के विद्धान अभिभाषक ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण की गैर मौजूदगी मे भूमि का सीमाज्ञान करवाया है। अप्रार्थीगण की गैरमौजूदगी मे भूमि का गलत सीमाज्ञान का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण की भूमि का हडपना चाहते है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 25, 85,171 ग्राम छान, सीमाज्ञान रिपोर्ट 01.06.2025 प्रस्तुत किये है।

प्रार्थिया के विद्धान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.06.2025 से स्पष्ट है कि प्रार्थिया को उसकी भूमि ख0न0 908 रकबा 0.17 है0, ख0न0 907 रकबा 0.27 है0 ग्राम छान का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थिया का पडौसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 908 रकबा 0.17 है0, ख0न0 907 रकबा 0.27 है0 ग्राम छान की पत्थरगढी कराने की अधिकारी हैं।

Signature Not Verified

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि वह पडौसी खातेदारों की उपस्थिति मे प्रार्थिया को उसकी खातेदारी

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.12 15:41:41 IST
Reason: SelfAttested

भूमि ख0न0 908 रकबा 0.17 है0, ख0न0 907 रकबा 0.27 है0 ग्राम छान पर पत्थरगढी करावें।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर

(सुधारानी मीणा)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.12 15:41:41 IST
Reason: SelfAttested